संख्या : 1057/आठ–1–23–159 विविध/2017

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

3. अध्यक्ष/जिलाधिकारी,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

4. प्रबन्ध निदेशक,
यू0पी0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0,
लखनऊ।

5. प्रबन्ध निदेशक,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लि0,
नई दिल्ली।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 06 दिसम्बर, 2023

विषयः मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पुनर्गठित "उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद" की आहूत बैठक दिनांक 02.12.2023 के संबंध में।

महोदय,

केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–215(2) के अंतर्गत अधिसूचना दिनांक 16.06.2014 के कम में पुनर्गठित "उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद" की बैठक दिनांक 02.12.2023 को सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में निम्नवत निर्देश दिये गये हैं:–

1– सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिये 15 दिसम्बर, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक सड़क सुरक्षा पखवारा आयोजित किया जाये।

2– ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करते हुए उनके अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधार के कार्य जल्द कराये जायें।

3– गति नियंत्रण हेतु बेहतर रोड़ इंजीनियरिंग एवं साइनेज का प्रयोग किया जाये।

4– महत्वपूर्ण मार्गो/मास्टरप्लान में चिन्हित मार्गों पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट का प्रयोग किया जाये।

5– अच्छी संरचना के साथ टेबलटॉप रोड़ डिवाइडर का निर्माण शहरी क्षेत्रों में किया जाये।

6– टी प्वाइंट/वाई प्वाइंट/चौराहों एवं यातायात के जंक्शन पर वाहनों के प्रवेश बिंदु पर ट्रैफिक से सम्बन्धित निर्देश स्पष्ट अंकित हो।

7– मेट्रो क्षेत्र में ई–रिक्शा के मार्गो को चिन्हित करते हुए उनके सुगम संचालन हेतु रूट तय किये जायें।

8– अवैध टैक्सी स्टैंड/आटो स्टैंड/रिक्शा स्टैंड की समस्या का स्थायी समाधान करते हुए इनके पार्किंग हेतु उचित प्रबन्ध किया जाये।

9— स्ट्रीट वेंडरों हेतु अलग लेन की व्यवस्था की जाये।

2— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या यथाशीघ्र शासन को तथा निदेशक, आवास बन्धु को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या (1) /आठ–1–2023–159 विविध/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि समस्त अभिकरणों से समन्वय स्थापित कर समेकित सूचना शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार)
अनु सचिव।